डी-13011/1/2003-प्रशा.III

शहरी विकास मंत्रालय

***

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 16 नवंबर, 2006

परिपत्र

विषयः कमरों, गलियारों, शौचालयों में स्वच्छता और स्वास्थ्यकर परिस्थितियाँ सुनिश्चित करना

यह देखा गया है कि पदधारी पूर्व के परिपत्र दिनांक 28 दिसंबर, 2005 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा परिचालित निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं।

2. प्रशासन-III में एक पंजिका चालू की गई है, जिसमें हर पदधारी प्रत्येक कमरे के सामने दर्शाए गए स्तंभ में पुष्टि करेगा कि उनके कमरों की उचित प्रकार से सफाई की गई है। पंजिका को चपरासी द्वारा हर प्रातःकाल में परिचालित किया जाएगा और हर को पदधारी 10.30 पूर्वाह्न तक अपनी आख्या/टिप्पणी अवश्य देनी चाहिए।

3. चतुर्थ वर्ग द्वारा किसी कर्तव्य की अवहेलना की शिकायत/गैर-निष्पादन के मामले में, उसे श्री पी. भारद्वाज, अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-III) के ध्यान में लाया जाए,

दूरभाष संख्याः 2349 इंटरकॉम
23061864 (कार्यालय)
24645999 (आवास)

4. सीपीडब्ल्यूडी, जो कि शौचालयों और गलियारों की सफाई के लिए उत्तरदायी है, को अनुरक्षण और सफाई की स्थिति के बारे में प्रशासन अनुभाग द्वारा नियमित रूप से सूचित किया जाएगा। गलियारों, शौचालय, आदि उचित प्रकार से साफ/स्वास्थ्यकर परिस्थिति में नहीं पाए जाने के मामले में, अधिकारी उसके लिए पंजिका में हमेशा पृष्ठांकन कर सकते हैं।

5. अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कमरों में अवांछित अलमारियाँ, अवांछित अभिलेख, खुली शीट्स, मकड़ी के जाले, आदि उपस्थित न हों। यदि उनके कमरों/कार्यस्थलों में उचित स्वास्थ्यकर परिस्थितियाँ प्रचलन में नहीं हैं तो संबंधित पदधारी उत्तरदायी ठहराए जाएँगे।

निदेशक (प्रशासन)

प्रेषिती:

1. शहरी विकास मंत्रालय में सभी निदेशक/उप सचिव
2. शहरी विकास मंत्रालय में सभी अनुभाग/डेस्क/इकाई/प्रकोष्ठ
3. शहरी विकास मंत्रालय में सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय
4. शहरी विकास मंत्रालय में समस्त वरिष्ठ तकनीकी निदेशक/तकनीकी निदेशक एनआईसी